भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 476

24 जुलाई, 2023 को उत्तर के लिए

आयातित सस्ते इस्पात का घरेलू उद्योग पर प्रभाव

476. श्री संजय राउत:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस्पात उत्पादन इकाइयों से प्राप्त इस्पात के उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सस्ते इस्पात के आयात में अत्यधिक वृद्धि हुई है जिससे घरेलू इस्पात उद्योग बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं और यदि हाँ, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार स्थानीय विनिर्माताओं के हितों की रक्षा करने और सस्ते आयात की आमद को रोकने हेतु स्टेनलेस स्टील के आयात पर प्रतिकारी शुल्क लगाने पर विचार कर रही है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा घरेलू स्तर पर इस्पात के उत्पादन को बढ़ाने और सस्ते इस्पात के आयात को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)

(क): विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान क्रूड इस्पात उत्पादन के आंकड़े निम्नवत् हैं:

वर्ष	**क्रूड इस्पात उत्पादन (मिलियन टन)**
2020-21	103.54
2021-22	120.29
2022-23	127.20
अप्रैल-जून 2023-24*	33.63
स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति; *अनंतिम	

(ख): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है, जहाँ सरकार देश में इस्पात क्षेत्र के विकास हेतु सुविधाप्रदाता की तरह कार्य करती है। आयात जैसे वाणिज्यिक निर्णय बाजार के मौजूदा रुझानों पर निर्भर करते हैं। तैयार इस्पात के आयात के आंकड़े वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान तैयार इस्पात के आयात में गिरावट तथा वर्ष 2022-23 के दौरान वृद्धि को दर्शाते हैं। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तैयार इस्पात के आयात के आंकड़े विगत वर्ष की समान अवधि की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन सहित नीचे दिए गए हैं:-

वर्ष	**तैयार इस्पात का कुल आयात**	
	मात्रा (एमटी में)	**% परिवर्तन**
2020-21	4.75	-29.8
2021-22	4.67	-1.7
2022-23	6.02	29.0
अप्रैल-जून 2022-23	1.17	-
अप्रैल-जून 2023-24*	1.40	19.5
स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति; *अनंतिम		

(ग): सरकार सभी उत्पादों के प्रभाव पर निगरानी रखती है और राष्ट्रीय हित में कदम उठाती है।

(घ): घरेलू स्तर पर इस्पात उत्पादन बढ़ाने और इस्पात के आयात को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) मेड इन इंडिया इस्पात की अधिप्राप्ति को बढ़ावा देने हेतु घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआई एंड एसपी) नीति को अधिसूचित करना।

(ii) घरेलू रूप से उत्पन्न स्क्रैप की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को अधिसूचित करना।

(iii) गैर-मानकीकृत इस्पात के विनिर्माण एवं आयात को रोकने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) को जारी करना।

(iv) अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम उद्योगों एवं उपभोक्ताओं, दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर सीमाशुल्क का अंशांकन।

(v) स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने और 'विशेष इस्पात' उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से 6,322 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ विशेष इस्पात हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को अधिसूचित और प्रारंभ किया गया।

****